FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बामनु मुकाम

चुन्नाराम बनाम हनुमानराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवे० 111, 120 RTRA/ नं. 68/17 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/03/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 120 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/04/2017 को पेश हो।	
26/04/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेतों का पूर्व में करवाये गये सीमाज्ञान की सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेहशान स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेहशानकशी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेहशानकशी आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू. अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेहशानकशी मौके पर मुताबिक जमाबन्दी करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मिसल कुमार में दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2017 / 217   दिनांकः– 26.04.2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुनाराम पुत्र थानाराम वगैरा 7 जाति जाट निवासी दलोणीयों की ढाणी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. हनुमानराम पुत्र करनाराम वगैरा 13 जाट निवासी दलोणीयों की ढाणी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 68 / 17

आदेश

खसरा नम्बर 183, 256 / 183, 283 / 183, 255 / 183, 254 / 183 रकबा कमशः 144.00, 84.00, 29.05, 29.10, 156.09 बीघा मौजा दलोणीयों की ढाणी, पटवार मण्डल रतेऊ भू अभिलेख वृत सवाऊ मुलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तारफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतू तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2017 / 218 to 222   दिनांक 26.04.17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चुनाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री हनुमानराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner